



आरक्षित (विभागा कलेक्टर) टांक
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148
आरक्षित

- 1033 -

आभिषेक अग्रणी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु सी.मि.ख0न0 104 कि.मि. सी.मि.आवादी में
स्थित मकान/म्यूण्ड वाक ग्राम नजीरपुरा में अवाक की गई है। अवाक सी.मि. पर
निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत
सर्व एंजिनी की सर्व रिपोर्ट के अनुसार संबंधित डिजाइनरों को विधि के

प्रकरण दर्ज रिजिस्टर कर तलबी अग्रणीकरण की गई एवं अवाक पत्रावली
तलब की गई। अवाक पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस
सुनी गई।
मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र का साक्षात् इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के
निर्माण में ग्राम नजीरपुरा तहसील उनीयावा की सी.मि.ख0न0 104 कि.मि. सी.मि.आवादी में
स्थित मकान/म्यूण्ड का मुआवजा विपक्षीकरण द्वारा गलत निर्धारण कर लीएलसी दर
से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थना अपनी सी.मि. पर स्थित मकान/म्यूण्ड
का बाजार मूल्य की दर से 5,00,000 रुपये का मुआवजा राहो प्राप्त करने का
अधिकारी है। अतः सरकार सी.मि. पर स्थित परिसम्पत्तियों का अवाक दिनांक 27.09.2021
को निरस्त कर मकान/म्यूण्ड का बाजार मूल्य की दर से 5,00,000 रुपये का

दिनांक 06.05.2026

नियम

- उपस्थित (1) श्री दीनदरस चौधरी, आभिषेक प्रणी
- (2) श्री खमचन्द शर्मा, आभिषेक अग्रणी संख्या-2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

अग्रणीकरण.....

- 1-सक्षम प्राधिकारी सी.मि. अवाक, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन (उपखण्ड अधिकारी)
- उनीयावा जिला टांक राज0
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
- नेशनल हाइवे नं0 148 एन सवाई माधोपुर।

बनाम

हेमराज पुत्र राजाराम जाति बैरवा निवासी नजीरपुरा तहसील उनीयावा जिला टांक
राज0
प्रणी.....

प्रकरण संख्या
प्रतिदि दिनांक
09/2022
07.02.2022

(टीना लबी, आइ0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)
न्यायालय जिला कलेक्टर (आरक्षित) टांक



आरबीडी
राजधानी संख्या 148
(जिला कलेक्टर) टोक

- 1034 -

प्रार्थी के पास अपने मकान/सूखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
दस्तावेज (पट्टा) नहीं है। प्रार्थी का मकान/सूखण्ड पक्का है जिसका मुआवजा
Valuation Report के आधार पर जारी किया गया है। अतः प्रार्थना एवं सारहीन व
तयहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबियां निकालें मय निर्णय प्रति सक्षम

तहसीलदार (म.अ.) उनीयारा म. अलीगढ़ जिला टोक के इस्ताखार है।
सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सूखण्ड अलीगढ़ जिला टोक व
आई. द्वारा अर्वाइ 95.583/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report पर
INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 92.583/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.ए.
परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON
1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story
से है।

मकान/सूखण्ड की वल्यूवेशन शीट की सत्यप्रतिनिधि निजवाइ गई है, जो निम्न प्रकार
पत्र क्रमांक:-एफडीओ/म.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के
नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वाइ)एव सूखण्ड अर्वाइ उनीयारा के
5,00,000 रूपये बांटा है, एन.ए. उक्त द्वारा इसकी तादद में साख-सर्वत प्रस्तुत
गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वाइ/मकान/सूखण्ड का मुआवजा बाजार मूल्य की दर से
अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया
गया है, जिसमें जमीन म.म.आबादी वक ग्राम नजीरपुरा का
राजमाना संख्या 148 एन सूखण्ड अर्वाइ उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/सूखण्ड
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वाइ अर्वाइ
जवाब/बकस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अर्वाइ
इसने बकस अभिगणक प्रार्थी व अभिगणक अर्वाइ संख्या-2 सेनी।

प्रार्थना एवं खारिज योग्य है।
द्वारा समूह तयहीन को मध्यनजर रखते हुए अर्वाइ जारी किया है जो उचित है। अतः
अर्वाइ शी। प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का मुआवजा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी
विभाग द्वारा समुच्च (वेट) किया गया। जमीन की किस म.म.आबादी राजस्व निकालें से
तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण
से पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बसिक डिजाइन आफ रेट) के आधार पर स्वीकृत
सर्व एव मूल्यांकन कार्य से सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्धारित किया गया। इस संबंध
आदेश दिया गया साख ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पत्रावली एवं निरदावली सहित
आई का सर्व कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का
मुआवजा शी का निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाइ भूमि एवं निर्माण
से कन्द सरकार से निहित हो गई। अर्वाइ शी भूमि से स्थित संरचनाओं/निर्माण की
गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अधिनियम रूप
भूमि अर्वाइ अर्वाइ द्वारा संबंधित विवाहिकारियों के हक से अर्वाइ पारित किया
की गई उक्तका विधि के प्रावधानों के अनुसार निरधारण किसे जाने के उपरान्त सक्षम
आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत
3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् प्रार्थना को 3 शी के अन्तर्गत
प्राधानी के अनुसार अर्वाइ पारित किया गया है। अर्वाइ भूमि का अधिनियम की धारा

आर.डी.ए. संख्या-148 एन
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 एन
(टी.जी.डी.डी.)
कोटा (राजस्थान) जिला
कोटा (राजस्थान) जिला



[Handwritten signature]

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्राधिकारी भूमि अर्वादि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 एन (उपखण्ड आधिकारी) जिनयारा को प्रेषित किया जावे।